एस. एस. सोधी, न्यायाधीश के समक्ष।

सुरिंदर कुमार जैन,— अपीलकर्ता,

बनाम

सुख देवी और अन्य— प्रतिद्वंद्वी।

मुख्य अपील संख्या 217 क्रमांक 1982 से

24 अक्टूबर, 1985।

अभिनिर्णित, कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 95 में दी गई प्रावधानों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि वहाँ कोई ऐसी प्रावधान नहीं है जिसे उसमें स्थायी रूप से बीमा कंपनी की जिम्मेदारी को वह जो की वर्कमेन्स कंपेंसेशन एक्ट, 1923 के तहत भुगतान करने के लिए सीमित कर सके। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 95(b) के प्रथम प्रारूप में वर्कमेन्स कंपेंसेशन एक्ट, 1923 के तहत बीमा कंपनी की जिम्मेदारी का संदर्भ केवल इस बात को दर्शाने के लिए है कि उस अधिनियम के तहत बीमा कंपनी की जिम्मेदारी मौजूद है, लेकिन उसकी व्याप्ति नहीं। बीमा कंपनी की जिम्मेदारी की सीमा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 95(2)(a) में निर्धारित की गई है, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम के तहत देय राशि के साथ-साथ वर्कमेन्स कंपेंसेशन एक्ट के तहत देय राशि भी शामिल है। इसलिए, बीमा कंपनी की जिम्मेदारी को पूरे मुआवजे देना चाहिए और मुआवजे के लिए उम्मीदवारों को दिए गए राशि के लिए मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से जिम्मेदार होंगे। (पैरा 7)

वेंकटारामन और अन्य बनाम अब्दुल मुंसफ़ साहिब और अन्य, 1971 ए.सी.जे. 77।

दि जनरल एस्युरेंस सोसाइटी लिमिटेड बनाम जया लक्ष्मी अम्मल और अन्य, 1975 ए.सी.जे. 159।

दि ओरिसा को-ऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड बनाम सरत चंद्र चंपती और दूसरा, 1975 ए.सी.जे. 196।

सुबासिनी पंडा और अन्य बनाम राज्य ऑफ ओडिशा और दूसरा, 1984 ए.सी.जे. 276।

न्यू इंडिया एस्युरेंस कंपनी लिमिटेड, अनंतपुर बनाम कंपराजू सुंकम्मा और दूसरे, 1981 ए.सी.जे. 441।

(असहमत है)

श्री ए .पी .चौधरी, जिला और सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद के आदेश के खिलाफ पहली अपील। जो 15 फरवरी, 1982 को हुआ था और जिसमें यह निर्णय हुआ कि याचिका को मंजूरी दी जाती है और याचिकाकर्ताओं को 40,000 रुपये के साथ वार्षिक 6 प्रतिशत ब्याज

के साथ ब्याज दिया जाएगा, यानी, 26 जुलाई, 1980 को याचिका दाखिल करने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक साथ में और लागतों के साथ। . . . 18,000 रुपये के अंदर की दर के साथ साझेदार स्वरूप से और संबंधित लागतों के साथ इंश्योरेंस कंपनी, जोड़े गए नंबर 3, द्वारा देय और उत्तरदाता 1 और 2 संयुक्त और अलग-अलग रूप से शेष राशि को भुगतान करने के लिए संयुक्त और अलग-अलग तरीके से जिम्मेदार होंगे।

प्राप्त राशि निम्नलिखित अनुपात में प्राप्त की जाएगी: —

सुखदेवी जी (विधवा) . . . रुपये 15,000

वीरेंद्र (अल्पायु बालक) . . . रुपये 15,000

श्रीमती गोपाली (माता) . . . रुपये 10,000/

कुल . . . रुपये 40,000

अल्पायु बालक को देने योग्य राशि को पेटीशनकर्ता द्वारा निर्दिष्ट नियमित जमा योजना के तहत एक नामित शेड्यूल्ड बैंक में जमा कर दिया जाएगा। जो ब्याज होगा, वह अल्पायु बालक की माता को अल्पायु बालक की पालन-पोषण के लिए दिया जाएगा। अल्पायु बालक पूर्णवयस्कता प्राप्त करने पर उसे वह राशि प्राप्त करने का हक होगा।

अरुण जैन, प्रतिवादी के वकील।

श्री जी. एस. चावला, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए वकील।

सी. बी. गोयल, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए एल. एम. जिंदल के साथ वकील।

निर्णय

एसएस सोढ़ी, जे.

1. यहां अपील में विवाद बीमा कंपनी की देनदारी की सीमा के संबंध में है। मुद्दे का मुद्दा यह है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 110 के तहत मुआवजे के दावे में, एक श्रमिक की मृत्यु से उत्पन्न होने पर, बीमा कंपनी का दायित्व है कर्मकार मुआवजा अधिनियम , 1923 के तहत देय राशि तक सीमित।

2. इस मामले से संबंधित तथ्य यह है कि 27 जनवरी, 1980 को सुबह लगभग 5 बजे ट्रक एचआरसी 5443 अचानक सड़क से उतर गया और एक पेड़ से टकरा गया। यह घटना जिला फरीदाबाद के गांव भंगोला के पास हुई। इस ट्रक पर मजदूर के रूप में कार्यरत मैम सिंह को इस दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष था कि दुर्घटना ट्रक-चालक की लापरवाही और लापरवाही से

गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। रुपये की राशि. दावेदारों को मुआवजे के रूप में 40,000 रुपये दिए गए, वे मृतक मैम सिंह की मां, विधवा और नाबालिग बेटे थे। बीमा कंपनी की देनदारी रुपये तय की गई थी। 18,000, यह श्रमिक मुआवजा अधिनियम , 1923 के तहत देय राशि थी, और शेष राशि के लिए ट्रक-मालिक और चालक को संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी माना गया था।

3. बीमा कंपनी की देनदारी इतनी सीमित है या नहीं, इस पर न्यायिक राय में विरोधाभास है। यह मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 95(1)(बी) के प्रावधान (i) की व्याख्या से उत्पन्न होता है , जो इस प्रकार है:

"बशर्ते किसी पॉलिसी की आवश्यकता नहीं होगी--

(i) पॉलिसी द्वारा बीमित व्यक्ति के कर्मचारियों की उसके रोजगार के दौरान और उससे होने वाली मृत्यु के संबंध में या ऐसे कर्मचारी द्वारा उत्पन्न शारीरिक चोट के संबंध में दायित्व को कवर करने के लिए ऐसे किसी भी कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में श्रमिक मुआवजा अधिनियम , 1923 (1923 का 8) के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व के अलावा उसके रोजगार के दौरान।"

4. इसे धारा 95(2)(ए) के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो निम्नलिखित शब्दों में है:

"(2) उप-धारा (1) के प्रावधान के अधीन, बीमा की पॉलिसी किसी एक दुर्घटना के संबंध में निम्नलिखित सीमा तक किए गए किसी भी दायित्व को कवर करेगी, अर्थात्: -

(ए) जहां वाहन एक माल वाहन है, वहां मृत्यु के संबंध में कर्मकार मुआवजा अधिनियम , 1923 (1923 का 8) के तहत उत्पन्न होने वाली देनदारियों, यदि कोई हो, सहित कुल मिलाकर एक लाख पचास हजार रुपये की सीमा है। , "या वाहन में ले जाए जा रहे कर्मचारियों (ड्राइवर के अलावा), जिनकी संख्या छह से अधिक न हो, को शारीरिक चोट लग सकती है।"

इस प्रस्ताव का मूल अधिकार कि बीमा कंपनी का दायित्व श्रमिक मुआवजा अधिनियम , 1923 के तहत देय राशि तक सीमित है, वेंकटरमन बनाम अब्दुल मुनाफ साहिब (1) में मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का निर्णय है। जनरल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड बनाम जयलक्ष्मी अम्मल (2) मामले में इसका पालन किया गया। बाद में उड़ीसा सहकारी बीमा सोसायटी लिमिटेड बनाम शरत चंद्र चाम-पति (3) और सुबासिनी पांडा बनाम उड़ीसा राज्य (4) के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा भी इसका अनुसरण किया गया; । इसी तरह का दृष्टिकोण न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कम्पाराजू सनकम्मा (5) मामले में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया था ।

5. विपरीत दृष्टिकोण ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राम सुंदर दुबे (6) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले में अपनी अभिव्यक्ति पाता है , जहां यह देखा गया था कि अधिनियम में यह दिखाने के लिए कुछ

भी नहीं था कि किसी कर्मचारी को मुआवजा देते समय, ट्रिब्यूनल देय मुआवजे के निर्धारण के लिए श्रमिक मुआवजा अधिनियम , 1923 के तहत बनाई गई अनुसूचियों को लागू करने के लिए बाध्य था। आगे यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 95(2)(ए) में शब्द , "श्रमिक मुआवजा अधिनियम , 1923 के तहत उत्पन्न होने वाली देनदारियों, यदि कोई हो, सहित कुल मिलाकर एक लाख और पचास हजार रुपये की सीमा" , इंगित करें कि प्रावधान समावेशी था, अर्थात, यह मोटर वाहन अधिनियम , 1939 के तहत और साथ ही श्रमिक मुआवजा अधिनियम , 1923 के तहत बीमा कंपनी की देनदारी के लिए प्रदान करता था। इस संबंध में यह देखा गया कि यदि शब्द " यदि कर्मकार मुआवजा अधिनियम , 1923 के तहत उत्पन्न होने वाली कोई भी बात इस धारा में नहीं होती, तो बीमा कंपनी यह अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र होगी कि उसका दायित्व केवल मोटर वाहन अधिनियम , 1939 के तहत सीमित है, और इसका विस्तार नहीं है। कर्मकार मुआवज़ा अधिनियम , 1923.

6. बाद में, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गोंडी एलिज़ा डेविड (7) में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच का भी यही प्रभाव है, अर्थात्, शब्द "दायित्व, यदि कोई हो, जो श्रमिक मुआवजा अधिनियम , 1923 के तहत उत्पन्न होता है" उप-धारा के खंड (ए) में आते हैं। 2) अधिनियम की धारा 95 में निहित है कि बीमाकर्ता सामान्य कानून क्षति के लिए भी उत्तरदायी था, न कि केवल श्रमिक मुआवजा अधिनियम , 1923 के तहत उत्पन्न होने वाली देनदारियों के संबंध में।

7. अधिनियम की धारा 95 में प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें कोई प्रावधान शामिल नहीं है जिसे बीमा कंपनी की देनदारी को श्रमिक मुआवजा अधिनियम , 1923 के तहत देय तक सीमित करने के लिए पढ़ा जा सकता है। देनदारी का संदर्भ "श्रमिक मुआवजा अधिनियम , 1923 के तहत बीमा कंपनी का, अधिनियम की धारा 95 (1) (बी) के परंतुक (i) में केवल उस अधिनियम के तहत बीमा कंपनी के दायित्व के अस्तित्व को इंगित करना है, लेकिन नहीं इसकी सीमा। बीमा कंपनी की देनदारी की सीमा अधिनियम की धारा 95 (2)(ए) के तहत निर्धारित की गई है, जिसे इलाहाबाद और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों की डिवीजन बेंचों द्वारा मोटर के तहत देनदारी सहित सही माना गया था। वाहन अधिनियम , 1939, साथ ही श्रमिक मुआवजा अधिनियम , 1923 के तहत भी। इस दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत होते हुए, निष्कर्ष अपरिहार्य है कि वर्तमान मामले में, बीमा कंपनी का दायित्व प्रदान की गई पूरी राशि तक विस्तारित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ट्रक मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी भी दावेदारों को दिए गए मुआवजे के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं।

8. तद्नुसार यह अपील लागत सहित स्वीकार की जाती है। परामर्श शुल्क रु. 300.

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भुवनेश सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नारनौल, हरियाणा

(1) 1971 A.C.J. 77. " ^

(2) 1975 A.C.J. 159.

(3) 1975 A.C.J. 196.

(4) 1984 A.C.J. 276.

(5) 1981 A.C.J. 441.

(6) 1982 A.C.J. 365.

(7) 1984 A.C.J. 8.